



छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

द्वितीय अपील क्रमांक 279/2011

सहनुलाल, उम्र 40 वर्ष, पिता श्री मदनलाल अघरिया, निवासी ग्राम परसाही, तहसील एवं जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।

----- याचिकाकर्ता

बनाम

1. जयचंद (मृत) के द्वारा विधिक उत्तराधिकारियों के माध्यम से:
 - 1(i) रमेश्वर, उम्र लगभग 44 वर्ष पिता स्वर्गीय श्री जयचंद ,
 - 1(ii) गायत्री बाई, उम्र लगभग 40 वर्ष पिता स्वर्गीय श्री पवन कुमार, पति श्री दोरिलाल पटेल , निवासी ग्राम कुलबा, पोस्ट ऑफिस नवरगपुर, थाना/तहसील एवं जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़),
 - 1(iii) गोपाल, उम्र लगभग 37 वर्ष पिता स्वर्गीय श्री जयचंद ,
 - 1(iv) कमता, उम्र लगभग 34 वर्ष पिता स्वर्गीय श्री जयचंद ।नंबर 1, 3 और 4 निवासी ग्राम परसाही, पोस्ट ऑफिस बहतलाई, थाना सरकंडा, तहसील एवं जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।
2. बालक राम, उम्र लगभग 48 वर्ष पिता स्वर्गीय श्री जुगल अघरिया ,
3. जनक राम, उम्र 46 वर्ष पिता स्वर्गीय श्री जुगल अघरिया ,
4. बोधराम, उम्र 43 वर्ष पिता स्वर्गीय श्री जुगल अघरिया ,
प्रतिवादी क्रमांक 2 से 4 तक निवासी ग्राम परसाही, तहसील और जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।
5. नंबूती, उम्र 50 वर्ष पति श्री नारोत्तम अघरिया ग्राम कौवाटल, तहसील सीपत, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़) ।



6. पुष्पा कुमारी, पति श्री भागीरथी अघरिया , ग्राम मुढ़पार, तहसील मस्तुरी, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़) ।

---- प्रतिवादी

अपीलकर्ता की ओर से	:	अधिवक्ता श्री सोमनाथ वर्मा,
प्रतिवादी की ओर से	:	अधिवक्ता श्री रविश वर्मा,

माननीय श्री न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल

पीठ पर पारित आदेश

23/03/2021

1. इस द्वितीय अपील में अपीलकर्ता/वादी द्वारा उठाए गए एवं विचाराधीन महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न निम्नलिखित हैं: “क्या निचली अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्षों की पुष्टि न कर अवैधता की है और क्या उसने विवेकाधीन राहत प्रदान करने से मनमाने तरीके से इनकार किया है?”

[सुविधा की दृष्टि से, पक्षकारों को यहां पर विचारण न्यायालय में उनके प्रास्थिति और दर्जे के अनुसार संदर्भित किया जाएगा]

2. विवादित संपत्ति, खसरा क्रमांक 111/3 क्षेत्रफल 0.238 हेक्टेयर, ग्राम परसाही, तहसील और जिला बिलासपुर में स्थित है, जो मूल रूप से मूल प्रतिवादी क्रमांक 1 जुगलाल के स्वामित्व में थी, जिनकी मृत्यु वाद के लंबित होने के दौरान हो गई। वादी का मामला यह है कि मूल प्रतिवादी क्रमांक 1 ने 28.04.1996 को अपनी विवादित भूमि ₹50,000/ प्रति एकड़ की दर से बेचने पर सहमति व्यक्त की थी और ₹6,000/ प्राप्त कर वादी के पक्ष में विक्रय संविदा (अनुबंध पत्र) निष्पादित किया था, जो दस्तावेज क्रमांक Ex.P1 के रूप में दर्ज है। इसके पश्चात प्रतिवादी क्रमांक 1 ने अपने अनुबंध के हिस्से को पूरा नहीं किया, जिसके कारण दिनांक 13.11.2001 को एक नोटिस जारी किया गया, जिसका प्रतिवादी ने



अनुबंध को निष्पादित करने से इनकार कर दिसंबर 2001 में उत्तर दिया। तत्पश्चात नए अधिवक्ता श्री दांडे की मृत्यु के कारण दिनांक 23.07.2002 को पुनः एक नया नोटिस जारी किया गया। यह भी कहा गया है कि वादी अनुबंध के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए तैयार और इच्छुक है, और वादी के पक्ष में अनुबंध के विशेष निष्पादन की डिक्री दी जाए।

3. मूल प्रतिवादी क्रमांक 1 ने वाद का विरोध करते हुए अपना लिखित कथन प्रस्तुत किया दर्ज कराई और वादी द्वारा वाद में किए गए अभिवचनों का खंडन करते हुए कहा कि विक्रय अनुबंध एक मनगढ़ंत दस्तावेज है, तथा वाद को सव्यय सहित खारिज किया जाए।
4. विचारण न्यायालय ने उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का मूल्यांकन करते हुए, अपने निर्णय और डिक्री दिनांक 15.02.2010 के द्वारा वाद को स्वीकार करते हुए यह माना कि विक्रय अनुबंध वादी और प्रतिवादी क्रमांक 1 के बीच वादग्रस्त भूमि की विक्रय के संबंध में किया गया था, प्रतिवादी क्रमांक 1 ने ₹6,000/- की राशि भी प्राप्त की थी, और वाद समयसीमा से निसिद्ध/वर्जित नहीं है तथा वादी अपने अनुबंध के हिस्से को पूरा करने के लिए तत्पर और सक्षम है। मूल प्रतिवादी क्रमांक 1 के विधिक प्रतिनिधियों द्वारा अपील करने पर, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विक्रय अनुबंध की वैधता, वादी की तत्परता, और वाद की समयसीमा के संबंध में विचारण न्यायालय के निष्कर्षों से सहमति व्यक्त की, लेकिन इस आधार पर हस्तक्षेप किया कि वादी संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए डिक्री प्राप्त करने का पात्र नहीं है। अपीलीय न्यायालय ने आंशिक रूप से अपील को स्वीकारते हुए अग्रिम राशि की वापसी का आदेश दिया। इसके विरुद्ध, धारा 100 सीपीसी के तहत यह द्वितीय अपील दायर की गई, जिसमें कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न प्रारंभिक अनुच्छेद में उल्लिखित किया गया है।
5. श्री सोमनाथ वर्मा, अपीलकर्ता/वादी के विद्वान अधिवक्ता, ने बताया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय के वैध विक्रय अनुबंध, वादी की तत्परता और सक्षमता, तथा वाद की समयसीमा के निष्कर्षों से सहमति जताते हुए संविदा के विनिर्दिष्ट पालन से संबंधित राहत में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था, यह कहते हुए कि इससे प्रतिवादी क्रमांक 1 को कठिनाई होगी, क्योंकि धारा 20 (2) (ख) विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (जिसे आगे '1963 का अधिनियम' कहा जाएगा) के संदर्भ में कोई विशिष्ट दलील प्रस्तुत नहीं की गई थी। अतः, इसके अभाव में प्रतिवादी क्रमांक 1 को कोई राहत नहीं दी जा



सकती थी। इस प्रकार, प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय और डिक्री उस सीमा तक रद्द किए जाने योग्य है।

6. दूसरी ओर, श्री रविश वर्मा, प्रतिवादीगणों के विद्वान अधिवक्ता, ने अपीलित निर्णय एवं डिक्री का समर्थन करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि अनुबंध दिनांक 28.4.1996 (प्रद. पी1) का बताया गया है और वादी द्वारा नोटिस भेजने और वाद दायर करने में देरी के आधार पर प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निर्णय में विधिसंगत हस्तक्षेप किया है। अपीलीय न्यायालय ने केवल अग्रिम राशि की वापसी का अनुतोष प्रदान की है, जो विधिसम्मत है। उन्होंने इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय **विमलेश्वर नागप्पा शेट बनाम नूर अहमद शरीफ एवं अन्य 1 (2011)12 SCC65B** का हवाला दिया।
7. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें सुनीं, उनके उपर्युक्त प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार किया, तथा अत्यधिक सावधानीपूर्वक अभिलेखों का अवलोकन किया।
8. न्यायालय द्वारा मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों के परिशीलन के बाद पाया गया कि प्रतिवादी क्रमांक 1 ने 28.04.1996 को वादी के साथ अपनी विवादित भूमि को बेचने का समझौता किया था, जो प्रदर्शनीय पत्रक Ex.P1 में दर्ज है, ₹50,000 प्रति एकड़ की दर से और ₹6,000 अग्रिम राशि के रूप में प्राप्त किए गए थे। न्यायालय ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि प्रतिवादी क्रमांक 1 अपने संविदा के भाग का पालन करने में असफल रहा और वादी ने सदैव संविदा का पालन करने की तत्परता एवं इच्छाशक्ति दिखाई है। साथ ही, न्यायालय ने यह भी माना कि वादी द्वारा दायर किया गया मुकदमा सीमावधि के भीतर है और तदनुसार संविदा के विनिर्दिष्ट पालन हेतु डिक्री प्रदान की गई। मूल प्रतिवादी के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा दायर की गई अपील पर प्रथम अपीलीय न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि वादी के पक्ष में वैध विक्रय समझौता हुआ था, मुकदमा सीमावधि के भीतर था और वादी अपने अनुबंध का पालन करने के लिए तत्पर था, लेकिन प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि कानूनी नोटिस देने और विनिर्दिष्ट पालन के लिए मुकदमा दायर करने में कुछ देरी हुई थी, हालांकि मुकदमा सीमावधि के भीतर था। इस आधार पर न्यायालय ने वादी को विनिर्दिष्ट पालन की बजाय अग्रिम राशि की वापसी का राहत प्रदान करना अधिक उपयुक्त माना और तदनुसार डिक्री को



संशोधित कर दिया। इस निर्णय को द्वितीय अपील में चुनौती दी गई है और विधिक प्रश्न पहले ही इस निर्णय के प्रारंभिक पैराग्राफ में उल्लिखित किया गया है।

9. विचाराधीन प्रश्न यह है कि क्या प्रथम अपीलीय न्यायालय यह निष्कर्ष निकालने में सही था कि वादी को संविदा के विनिर्दिष्ट पालन का अनुतोष पाने का अधिकार नहीं है?
10. उस निष्कर्ष की वैधता का निर्धारण करने हेतु, यह उपयुक्त होगा कि लिखित बयान में प्रस्तुत की गई दलील का अवलोकन किया जाए, जो निम्नलिखित है:

लिखित कथन

प्रतिवादी क्रमांक -1 निम्नलिखित उत्तर प्रस्तुत करता है-

1. यह कि कंडिका 1 की बातें प्रक्रिया संबंधी है अतः कोई उत्तर नहीं दिया जा रहा है।

2. यह कि कंडिका 2 की बातें स्वीकार है।

3. यह कि कंडिका 3 की बातें अस्वीकार है। यह स्पष्ट रूप से इनकार है कि 6000/- बयाना के रूप में लेकर 50,000/- में बेचने का सौदा किया था। जमीन में जयचंद, बालकराम, जनकराम तथा बोधराम के शामिलानी हक की जमीन है। प्रतिवादी क्रमांक -1 बेचने के सौदे का अधिकार नहीं रखता है। बयाने की रसीद कूटरचित दस्तावेज है इस पर प्रतिवादी के अंगूठे का निशान भी नहीं है।

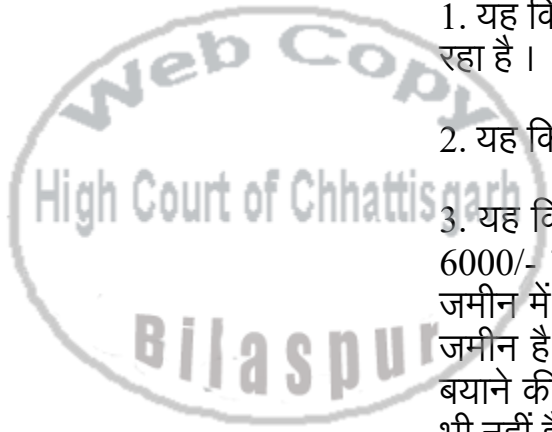
4. यह कि कंडिका 4 की बातें अस्वीकार हैं। चूंकि बेचने का सौदा ही नहीं हुआ तो बेचने का आश्वासन देने का प्रश्न ही नहीं है।

5. यह कि कंडिका 5 की बातें अस्वीकार है श्री दांडे ने कोई नोटिस नहीं दिया केवल श्री पात्रे का नोटिस प्राप्त हुआ था। जिसका जवाब दिया गया था।

6. यह कि कंडिका 6 की बातें अस्वीकार है। दिसंबर 2001 में वाद का कारण उत्पन्न नहीं हुआ है।

7. यह कि कंडिका 7 की बातें अस्वीकार है बिक्रीपत्र पंजीयन कराने का कोई अधिकार वादी को नहीं है।

8. यह कि कंडिका 8 की बातें प्रक्रिया से संबंधित है अतः इनका कोई उत्तर नहीं दिया जाता।





9. यह कि कंडिका 9 की बातें प्रक्रिया से संबंधित अतः कोई उत्तर नहीं दिया जाता ।

10. यह कि कंडिका 10 की बातें अस्वीकार है । दिसम्बर 2001 को कोई वाद का कारण उत्पन्न नहीं हुआ ।

11. यह कि कंडिका 11 की बातें प्रक्रिया से संबंधित है अतः कोई उत्तर नहीं दिया जाता ।

12. यह कि कंडिका 12 की बातें अस्वीकार हैं । वाद का सही मूल्यांकन नहीं किया गया है अतः वाद पोषणीय नहीं है ।

13. यह कि वादी कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है ।

14. यह कि वाद अपने वर्तमान स्वरूप में पोषणीय नहीं है ।

15. यह कि वाद समय बाधित है ।

16. यह कि वाद मे कुसंयोजन एवं असंयोजन का दोष है ।

17. यह कि वाद प्रतिवादी 1 को परेशान करने व्यर्थ में पेश किया गया है जो फर्जी एवं झूठे दस्तावेज के आधार पर है । अतः 10,000/- विशिष्ट हर्जाना लगाकर वाद निरस्त करने योग्य है ।

अगुंठा निशान

प्रतिवादी क्रमांक -1

(जुगलाल)

11. प्रतिवादी क्रमांक 1 के लिखित बयान का सावधानीपूर्वक अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि उसने कई प्रकार के बचाव उठाए, जैसे कि विवादित संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति है और उसे इसे विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं है, और उसके तथा वादी के बीच विक्रय का कोई अनुबंध नहीं हुआ, साथ ही उसने विक्रय अनुबंध पर अपने अंगूठे का निशान नहीं लगाया, लेकिन उसने विशिष्ट रूप से भारतीय विनिर्दिष्ट अनुतोष राहत अधिनियम, 1963 की धारा 20(2)(b) के तहत यह दलील नहीं उठाई कि अनुबंध का निष्पादन उसके लिए अप्रत्याशित कठिनाइयाँ उत्पन्न करेगा, जबकि उसके



निष्पादन से वादी को कोई कठिनाई नहीं होगी। इसके परिणामस्वरूप, विचारण न्यायालय द्वारा इस पर कोई मुद्दा नहीं उठाया गया, फिर भी प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस आधार पर हस्तक्षेप किया कि संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन की डिक्री से प्रतिवादी क्रमांक 1 को कठिनाई होगी।

12. इस स्तर पर, भारतीय विनिर्दिष्ट अनुतोष राहत अधिनियम, 1963 की धारा 20(2)(b) (जिसे 01.10.2018 से निरस्त कर दिया गया है और इसे अधिनियम 18, 2018 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है) पर ध्यान देना उचित होगा, जो इस प्रकार है:

“20. विनिर्दिष्ट पालन के संबंध में न्यायालय का विवेकाधिकार:

(1) xxx xxx xxx

(2) निम्नलिखित मामलों में न्यायालय विनिर्दिष्ट पालन की डिक्री न देने के विवेक का सही ढंग से प्रयोग कर सकता है:

(a) xxx xxx xxx

(b) जब अनुबंध का निष्पादन प्रतिवादी के लिए कुछ कठिनाई उत्पन्न करेगा, जिसे उसने पूर्वानुमानित नहीं किया, जबकि अनुबंध का निष्पादन न करने से वादी के लिए कोई ऐसी कठिनाई नहीं उत्पन्न होगी; या

(c) xxx xxx xxx

स्पष्टीकरण 1:

मात्र प्रतिफल की अपर्याप्तता, या यह तथ्य कि अनुबंध प्रतिवादी के लिए भारयुक्त या उसकी प्रकृति में अविवेकपूर्ण है, इसे खंड (a) के अर्थ में अनुचित लाभ या खंड (b) के अर्थ में कठिनाई नहीं माना जाएगा।

स्पष्टीकरण 2:

इस प्रश्न का कि अनुबंध का निष्पादन खंड (b) के अर्थ में प्रतिवादी के लिए कठिनाई उत्पन्न करेगा या नहीं, निर्धारण अनुबंध के समय विद्यमान परिस्थितियों के संदर्भ में किया जाएगा, सिवाय उन मामलों के, जिनमें कठिनाई अनुबंध के बाद वादी द्वारा किए गए किसी कार्य के कारण उत्पन्न हुई हो।”



13. सर्वोच्च न्यायालय ने **Vimaleshwar Nagappa Shet** (उल्लेखित) के मामले में स्पष्ट रूप से यह माना कि विनिर्दिष्ट पालन की डिक्री पूरी तरह से विवेकाधीन होती है। न्यायालय ने यह देखा:

“11. यह स्थापित विधि है कि भारतीय विनिर्दिष्ट पालन अधिनियम, 1963 की धारा 20 विवेकाधीन शक्तियाँ प्रदान करती है।

(**M. Meenakshi v. Metadin Agrawal, Nirmala Anand v. Advent Corpn. (P) Ltd.**, और **Parakunnan Veetill Joseph's Son Mathew v. Nedumbara Karuvila's Son** के संदर्भ में) यह भी स्थापित है कि शहरी क्षेत्रों में संपत्ति का मूल्य तेजी से बढ़ता है और लंबे समय बाद विनिर्दिष्ट पालन का अनुतोष प्रदान करना न्यायसंगत नहीं होगा।”

14. सर्वोच्च न्यायालय ने **Prakash Chandra v. Narayan** (उल्लेखित) मामले में स्पष्ट रूप से यह माना कि यह प्रश्न कि क्या विशिष्ट पालन के लिए राहत प्रदान करने से प्रतिवादी को कठिनाई होगी, भारतीय विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 20 की उपधारा (2) के क्लॉज (b) के अनुसार, एक तथ्य का प्रश्न है। न्यायालय ने निम्नलिखित देखा:

“15. यह प्रश्न कि क्या विशिष्ट प्रदर्शन के लिए राहत प्रदान करने से प्रतिवादी को धारा 20 की उपधारा (2) के क्लॉज (b) के अर्थ में कठिनाई होगी, एक तथ्य का प्रश्न है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने ऐसा कोई मुद्दा बनाए बिना निचली अदालत के निष्कर्षों को उलट दिया, जबकि अन्य सभी मुद्दों पर निचली अदालत के साथ सहमति जताई। उच्च न्यायालय ने दूसरी अपील में यह ध्यान नहीं दिया कि प्रतिवादी ने कठिनाई का कोई बचाव नहीं किया था और न ही इस संबंध में कोई मुद्दा निर्धारित किया गया था, और ऐसे किसी भी साक्ष्य की अनुपस्थिति में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि यदि विनिर्दिष्ट पालन की डिक्री प्रदान की गई, तो वह भूमि-विहीन हो जाएगा।”

15. सर्वोच्च न्यायालय ने **K. Prakash v. B.R. Sampath Kumar** मामले में यह माना कि न्यायालय के पास विशिष्ट प्रदर्शन की डिक्री देने का अधिकार विवेकाधीन है, लेकिन यह अधिकार मनमाना नहीं हो सकता। यह विवेक उचित और तर्कसंगत न्यायिक सिद्धांतों के अनुसार प्रयोग किया जाना चाहिए। न्यायालय ने निम्नलिखित अवलोकन किया:



“17. जो सिद्धांत स्थापित किए जा सकते हैं, वे यह हैं कि जब वादी बिक्री के अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए वाद दायर करता है, तो कानून डिक्री प्रदान करने से पहले यह शर्त रखता है कि वादी को यह प्रदर्शित करना होगा कि उसने अनुबंध की शर्तों के अनुसार अपने हिस्से का पालन करने की तत्परता और इच्छाशक्ति अनुबंध की तारीख से सुनवाई की तारीख तक लगातार बनाए रखी है। आमतौर पर, जब निचली अदालत ने पूरे साक्ष्य और रिकॉर्ड पर सामग्री की सराहना करने के बाद एक तरीके से या अन्य तरीकों से अपने विवेक का प्रयोग किया हो, तो अपीलीय न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जब तक यह साबित न हो जाए कि विवेक को विरूप, मनमाने या न्यायिक सिद्धांतों के खिलाफ प्रयोग किया गया है।

**अपील न्यायालय को बाहरी या सहानुभूतिपूर्ण विचारों के आधार पर विशिष्ट प्रदर्शन के विरुद्ध अपना विवेक प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह सच है कि भारतीय विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 20 के तहत किसी पक्ष को केवल इसलिए विशिष्ट प्रदर्शन की डिक्री पाने का अधिकार नहीं है क्योंकि ऐसा करना विधिपूर्वक उचित है। फिर भी, एक बार जब बिक्री का अनुबंध कानूनी और वैध रूप से सिद्ध हो जाता है और विशिष्ट प्रदर्शन की डिक्री प्राप्त करने की शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो न्यायालय को विशिष्ट प्रदर्शन के पक्ष में राहत देने का विवेक प्रयोग करना चाहिए।”

16. सर्वोच्च न्यायालय ने **Leeladhar (Dead) Through LRS. v. Vijay Kumar (Dead) Through LRS. And Others** मामले में यह निर्णय दिया:

“7. भारतीय विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) के क्लॉज (c) का लाभ लेने के लिए, किसी विशिष्ट प्रदर्शन के वाद में प्रतिवादी को यह दिखाना होगा कि उसने अनुबंध ऐसी परिस्थितियों में किया था जो अनुबंध को भले ही अमान्य या रद्द योग्य बनाती हो, लेकिन उसे अन्यायपूर्ण बनाती हैं। इस मामले में, जब एक बार यह तय हो गया कि प्रविष्ट किया गया दस्तावेज़ बिक्री अनुबंध था और न कि कोई छद्म लेनदेन, तो अपीलकर्ता इस प्रावधान का लाभ नहीं उठा सकते।”

17. उपरोक्त सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों के कानूनी सिद्धांतों के आलोक में वर्तमान मामले के तथ्यों की समीक्षा करने पर यह स्पष्ट होता है कि इस मामले में, यद्यपि प्रतिवादी नं. 1 ने



अपने लिखित बयान में केवल यह दलील दी थी कि उसके और वादी के बीच कोई विक्रय अनुबंध नहीं हुआ था और उन्होंने भारतीय विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 20(2)(b) पर आधारित कोई विशिष्ट दलील नहीं दी थी। इस मामले में निचली अदालतों ने स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष निकाला कि प्रतिवादी नं. 1 और वादी के बीच एक वैध विक्रय अनुबंध था और यह वैध विक्रय अनुबंध की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

प्रतिवादी नं. 1 ने अनुबंध के निष्पादन में किसी प्रकार की कठिनाई की दलील धारा 20(2)(b) के आधार पर नहीं दी और न ही यह साबित करने की कोई कोशिश की कि अनुबंध के निष्पादन से उसे कोई कठिनाई होगी जबकि वादी को कोई कठिनाई नहीं होगी। इसके परिणामस्वरूप, निचली अदालत ने धारा 20(2)(b) के आधार पर कोई मुद्दा तय नहीं किया और न ही पक्षों ने इस मुद्दे पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया।

परन्तु प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रतिवादी नं. 1 की ओर से धारा 20(2)(b) पर कोई दलील न होने के बावजूद, बिना किसी मुद्दे और बिना किसी साक्ष्य के, अनुबंध के निष्पादन से प्रतिवादी नं. 1 को होने वाली कठिनाई को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया कि वादी को विक्रय की संविदा के विनिर्दिष्ट पालन की डिक्री नहीं दी जा सकती क्योंकि इससे प्रतिवादी को कठिनाई होगी। परिणामस्वरूप, डिक्री को संशोधित करते हुए केवल अग्रिम धनराशि की वापसी की डिक्री दी गई।

न्यायालय का यह निष्कर्ष विशेष रूप से इस तथ्य के मद्देनजर सही नहीं है कि प्रतिवादी नं. 1 की ओर से धारा 20(2)(b) के आधार पर कोई दलील या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसलिए, प्रथम अपीलीय न्यायालय को सभी अन्य निष्कर्षों की पुष्टि के बाद डिक्री को संशोधित नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वे निष्कर्ष अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन के लिए आवश्यक थे।

18. तदनुसार, प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विशेष निष्पादन की डिक्री को निरस्त करने वाले निर्णय और डिक्री को इस सीमा तक निरस्त किया जाता है, और ट्रायल कोर्ट के निर्णय और डिक्री को पुनर्स्थापित किया जाता है। इस प्रकार, कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर वादी के पक्ष में और प्रतिवादी नं. 1 के खिलाफ दिया जाता है।



19. द्वितीय अपील को उपरोक्त सीमा तक स्वीकृत किया जाता है, जिसमें पक्षकारों को उनके स्वयं के व्यय वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।
20. तदनुसार अपीलीय डिक्री तैयार की जाए।

सही/-
(संजय के. अग्रवाल)
न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

